06 जनवरी, 2017 को पूर्वाह्न 11 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 74वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 74.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (11 प्रस्ताव)

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए **5**वें साल के बाद तथा **6** माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंज़ूरी प्रदान की।"

(i) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 दिसंबर, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम **:**	मैसर्स टाटा स्टील स्पेशल इकोनामिक जोन लिमिटेड
क्षेत्र :	बहु उत्पाद
लोकेशन :	गोपालपुर, जिला गंजम, ओडिशा
विस्तार **:**	विकासक को 18 जून 2007 को 1173 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया तथा 500 हेक्टेयर के लिए अधिसूचना 8 अप्रैल 2016 को जारी की गई है। विकासक को 7 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता 17 दिसंबर**,** 2016 को समाप्त हो गई।

बुनियादी तथ्य : विकासक को 18 जून 2007 को 1173 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अब 500 हेक्टेयर के लिए अधिसूचना 8 अप्रैल 2016 को जारी की गई है। राज्य सरकार की सिफारिश में विलंब के कारण अधिसूचना जारी करने में विलंब हुआ।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है **/** योजना बनाई है **:**

(i) एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्र के लिए 70 प्रतिशत से अधिक चारदीवारी का काम पूरा हो गया है।
(ii) संपर्क सड़कों का विकास हो चुका है
(iii) निर्माण विद्युत एवं पानी उपलब्ध है।
(iv) अनुमोदन के लिए फार्म डी में बीएलयूटी प्रस्तुत किया गया है।

(v) यूनिट अनुमोदन समिति ने एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए पहले निवेशक को मंजूरी प्रदान की है।

(vi) पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। एफओआर प्राप्त किया गया है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से ईआईए पूरा हो गया है, फरवरी **2017** तक पर्यावरण स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है।

विकासक ने बताया है कि नई यूनिटों की स्थापना के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाई जा सकती है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम गाँव बेहरामपुर, बालोला और बाँधवारी, तहसील सोहना, गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जनवरी, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम **:** जी पी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस एण्ड इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर

लोकेशन : ग्राम बेहरामपुर, बालोला और बांदवारी, तहसील सोहना, गुड़गांव, हरियाणा

विस्तार **:** विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जुलाई 2007 को प्रदान किया गया था। विकासक को 7 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 25 जनवरी, 2017 तक है।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जुलाई 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	300
2.	निर्माण की लागत	2850
3.	प्लांट एवं मशीनरी	--
4.	अन्य ऊपरी खर्च	850
	कुल	4000

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश:

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	187	--
2.	सामग्री का प्रापण	40.83	40.81
3.	प्लांट एवं मशीनरी	44.64	17.30
4.	अन्य ऊपरी खर्च	12.78	11.36
	कुल	285.25	69.47

(ग) अन्य ऊपरी खर्चों का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	बैंक शुल्क	10.61	10.61
2.	कर्मचारी वेतन और भत्ते	0.66	0.66
3.	सुरक्षा शुल्क	0.04	0.04
4.	आईटी व्यय	0.03	0.03
5.	विविध	0.02	0.02
	कुल	11.36	11.36

(घ) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	प्री-कास्ट फैक्टरी सेट अप	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	--
2.	खुदाई	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	--
3.	आइसोलेटेड फूटिंग	84 प्रतिशत	84 प्रतिशत	मई, 2017
4.	प्रीकास्ट प्रोडक्शन वर्क	17 प्रतिशत	17 प्रतिशत	मई, 2017

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने औपचारिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) **सेवाह गांव, जीटी रोड, जिला पानीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 फरवरी, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मित्तल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक का नाम **:**	मित्तल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
क्षेत्र :	आईटी / आईटीईएस
लोकेशन :	ग्राम सेवा, जीटी रोड, जिला पानीपत, हरियाणा
विस्तार **:**	विकासक को औपचारिक अनुमोदन 15 अक्टूबर 2007 को प्रदान किया गया था। विकासक को छ: विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 23 फरवरी, 2016 तक थी।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 15 अक्टूबर 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

व्यवसाय योजना का ब्यौरा : विकासक ने बताया है कि वे पहले साल में सबसे पहले 10,00,000 वर्गफीट के प्रसंस्करण क्षेत्र का निर्माण करेंगे और यह दूसरे साल में क्रियाशील होगा। वे 13 एकड़ के संपूर्ण प्रसंस्करण क्षेत्र को फिनिश करेंगे।

अब तक किया गया निवेश :

(क) भूमि : 493 लाख रुपए
(ख) अवसंरचना : 1400 लाख रुपए
(ग) अन्य : 15 लाख रूपए
कुल : 1908 लाख रुपए

पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद वृद्धिमूलक निवेश - शून्य

मात्रा की दृष्टि से अब तक की भौतिक प्रगति का ब्यौरा :

- चारदीवारी का काम पूरा हो गया है
- हाइवे पर एंट्री के लिए अनुमति 8 अप्रैल 2009 को प्राप्त हो गई है
- 28 अगस्त 2009 को आईईसी कोड प्राप्त किया गया।
- 132 केवी के सब स्टेशन के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से पत्र
- परियोजना को निष्पादित करने के लिए परामर्शदाता के रूप में फीडबैक वेंचर्स की नियुक्ति की गई है
- निर्माण मशीनरी के लिए आर्डर दिए गए हैं
- 15 मई 2012 को वास्तुकार की नियुक्ति की गई है
- मजदूरों के लिए अस्थायी झोपड़ी का निर्माण किया गया है
- अपशिष्ट जल के भंडारण के लिए जलाशय का निर्माण किया गया है

- लगभग 2000 वर्गफीट के साइट कार्यालय का निर्माण किया गया है
- आंतरिक संपर्क सड़क का विकास किया गया है

पिछली बार वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद से भौतिक प्रगति : - शून्य

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रगति न होने के कारण प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) प्लाट नंबर 20, ग्राम मुप्पीरेड्डीपल्ली, टूप्रण मंडल, जिला मेडक, तेलंगाना में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 4 जनवरी, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स रेडिएंट कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स रेडिएंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

क्षेत्र : इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर तथा संबद्ध गतिविधियां

लोकेशन : प्लाट नंबर 20, ग्राम मुप्पीरेड्डीपल्ली, टूप्रण मंडल, जिला मेडक, तेलंगाना

विस्तार : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 05 जनवरी 2012 को प्रदान किया गया था। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 4 जनवरी, 2017 तक है।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 05 जनवरी 2012 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

	दूसरे विस्तार (30 नवंबर 2015) तक कुल व्यय की राशि	पिछली बार बढ़ाई गई अवधि के बाद वृद्धिमूलक निवेश (ग) का उप जोड़ (30 नवंबर 2015 से 30 नवंबर 2016 तक)	अब तक किए गए निवेश (ख) का उप जोड़ - भूमि एवं अन्य अवसंरचना पर अलग अलग
भूमि	37,893,000	--	37,893,000
अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	45,387,927	5,53,29,415	10,07,17,342
अन्य	942,826	882,892	1,825,718
कुल योग	84,223,753	56,212,307	140,436,060

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने 15 मार्च 2017 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 28 फरवरी, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम **:** मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस

लोकेशन : इंदौर, मध्य प्रदेश

विस्तार **:** विकासक को औपचारिक अनुमोदन 28 फरवरी, 2012 को प्रदान किया गया था। विकासक को दो विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 28 फरवरी, 2017 तक है।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 28 फरवरी, 2012 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

भौतिक प्रगति **:**

क्र. सं.	**अधिकृत गतिविधि**	**25 नवंबर, 2016 तक की स्थिति के अनुसार समाप्ति का प्रतिशत**	**इस वर्ष के दौरान पूरे किए गए कार्य का प्रतिशत**	**शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा**
1	चारदीवारी	100 प्रतिशत	22 प्रतिशत	-
2	साफ्टवेयर डवलपमेंट ब्लाक / बीपीओ ब्लाक / एराइवल ब्लाक / फूड कोर्ट / एमेनिटी ब्लाक	60.00 प्रतिशत	51.39 प्रतिशत	मार्च, 2018
3	पार्किंग स्पेस / हेल्थ एंड फिटनेस स्पेस / रेस्ट रूम	50.00 प्रतिशत	50.00 प्रतिशत	मार्च, 2018
4	जनरेटर रूम / इलेक्ट्रिक सबस्टेशन / एफओ जनरेटर (एमएसईबी विद्युत में वृद्धि के लिए) / चिलर प्लांट / यूपीएस रूम / वितरण सबस्टेशन / एचएसडी यार्ड	70.00 प्रतिशत	69.00 प्रतिशत	दिसंबर 2017
5	स्ट्रीट लाइटिंग तथा दिशा सूचक संकेतकों के साथ आंतरिक सड़कें	20.00 प्रतिशत	10.00 प्रतिशत	मार्च, 2018
6	सभी सिविल और विद्युत कार्य / बीएमएस / एयर कंडिशनिंग / फायर प्रोटेक्शन सिस्टम / रेन वाटर स्टोरेज टैंक / गैस बैंक / बायोगैस प्लांट	40.00 प्रतिशत	40.00 प्रतिशत	मार्च, 2018
7	लैंडस्केपिंग / गार्डेन स्पेस का विकास	10.00 प्रतिशत	10.00 प्रतिशत	दिसंबर 2017
8	सीवेज शोधन प्लांट / जल शोधन प्लांट	50.00 प्रतिशत	50.00 प्रतिशत	मार्च, 2017

वित्तीय निवेश :

i. प्रस्तावित निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	करोड़ रूपए में
1	भूमि की लागत	20.00
2	भूमि का विकास	20.00
3	चारदीवारी, सड़कें, ड्रेनेज, जलापूर्ति, विद्युत आदि	80.00
4	निर्मित परिसर	180.00
5	अन्य निवेश	110.00
	कुल	**410.00**

ii. अब तक तथा पिछले 1 साल के दौरान किया गया निवेश **:**

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	इस वर्ष के दौरान किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)
1	भूमि की लागत	20.65	-
2	निर्मित परिसर	204.11	145.65
3	अन्य निवेश	3.22	0.94
	कुल	**227.98**	**146.59**

iii. अब तक ठेकेदारों और परामर्शदाताओं को सौंपी गई संविदाएं **:**

क्र. सं.	वर्क्स का स्वरूप	अनंतिम पीओ राशि (करोड़ में)
1	परामर्श सेवा	42.45
2	सिविल वर्क्स :	254.38
3	बाहरी फिनिश	33.72
4	आंतरिक फिनिश	47.52
5	विद्युत वर्क्स :	60.41
6	यांत्रिक वर्क्स	43.93
7	आईबीएमएस वर्क्स	15.79
	कुल	**498.20**

विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(vi) एडुर एलावुर गांव, गुम्मिदिपोन्दी तालुक, तिरूवल्लूर जिला, तमिलनाडु में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 नवंबर, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स फ्रंटियर लाइफटाइम प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम **:** फ्रंटियर लाइफलाइन प्राइवेट लिमिटेड

लोकेशन : ग्राम एडुर एलावुर, तालुक गुमिडीपुंडी, जिला तिरुवल्लूर, तमिलनाडु

विस्तार : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 28 नवंबर 2008 को प्रदान किया गया था। विकासक को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 27 नवंबर, 2016 तक थी।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 28 नवंबर 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित गतिविधियां पूरी कर ली हैं :

विकासक ने बताया है कि वे 31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार 172.56 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने कोई उल्लेखनीय भौतिक प्रगति नहीं की है, फिर भी अपने एसईजेड के लिए निम्नलिखित अवसंरचना एवं सुविधाओं के निर्माण के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है :

(i) विज्ञान / अनुसंधान ब्लाक
(ii) सम्मेलन केन्द्र
(iii) जैव अस्पताल
(iv) मैकेनिकल हार्ट प्रोजेक्ट
(v) जैव-उद्यम क्षेत्र

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(vii) चोलंकुरिनी गांव, मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स रूद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स रूद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड

लोकेशन : चोलनकुरिनी गांव, मदुरै, तमिलनाडु

विस्तार : 26 जुलाई 2007 को विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को चार विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 25 जुलाई 2014 तक वैध था।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जुलाई, 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

प्रस्तावित निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (रुपए में)
1.	भूमि की लागत	10,00,00,000
2.	निर्माण की लागत	325,00,00,000
3.	प्लांट एवं मशीनरी	295,00,00,000
4.	अन्य ऊपरी खर्च	20,00,00,000
	कुल	650,00,00,000

(ii) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (रुपए में)
1.	भूमि की लागत	12,25,00,000	22,98,000
2.	सामग्री का प्रापण	56,86,24,000	1,15,60,000
3.	सेवा लागत	9,83,70,000	31,38,000
4.	अन्य ऊपरी खर्च	75,60,000	--
	कुल	79,70,54,000	1,69,96,000

(iii) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	सड़क	40 प्रतिशत	8 प्रतिशत	31,3,2017
2.	निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र	35 प्रतिशत	5 प्रतिशत	31 दिसंबर, 2017
3.	विद्युत वर्क्स :	5 प्रतिशत	--	31 मार्च, 2018
4.	दूर संचार	--	--	31 मार्च, 2018
5.	एयरकंडिशनिंग तथा अन्य	--	--	31 मार्च, 2018

विकास आयुक्त एमईपीजेड ने 31 सितंबर, 2018 तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(viii) ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विनिर्माण शामिल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 3 जनवरी, 2017 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड

लोकेशन : ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान

विस्तार : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 04 जनवरी 2012 को प्रदान किया गया था। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके था जिसकी वैधता अवधि 3 जनवरी, 2017 तक है।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 04 जनवरी 2012 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (रुपए में)
1.	भूमि की लागत	1249
2.	निर्माण लागत तथा प्लांट एवं मशीनरी	1413
3.	अन्य ऊपरी खर्च	338
	कुल	3000

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश:

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (लाख रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (लाख रुपए में)
1.	भूमि की लागत	1249	--
2.	सामग्री प्रापण एवं सेवा लागत	124	14
3.	अन्य ऊपरी खर्च (ब्याज)	696	38
	कुल	2069	52

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के बहु उत्पाद एसईजेड में विलय के लिए अनुमोदन*	विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के एक बहु उत्पाद एसईजेड में विलय के लिए आवेदन किया गया	राज्य सरकार ने सिफारिश अग्रेषित की है	मार्च, 2017
2.	चारदीवारी का निर्माण	90 प्रतिशत पूरा हो	योजना का 50%	मार्च, 2017

		गया है	कार्य पूरा हुआ	
3.	सड़क एवं अन्य अवसंरचना का निर्माण	योजना बनाने का काम 100 प्रतिशत पूरा हो गया है तथा 30 प्रतिशत सड़क का कार्य पूरा हो गया है	योजना बनाने का 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है	सितंबर, 2017
4.	सीवेज तथा जलापूर्ति	योजना बनाने का कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो गया है	योजना बनाने का कार्य 50 प्रतिशत पूरा हो गया है	दिसंबर, 2017

*हालांकि यह कोई अधिकृत गतिविधि नहीं है

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ix) ग्राम भाम्भोरिया, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 1 फरवरी, 2017 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम **:** मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड

लोकेशन : ग्राम भाम्भोरिया, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान

विस्तार **:** विकासक को औपचारिक अनुमोदन 2 फरवरी, 2012 को प्रदान किया गया था। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके था जिसकी वैधता अवधि 3 जनवरी, 2017 तक है।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 2 फरवरी, 2012 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा **:**

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (रुपए में)
1.	भूमि की लागत	240
2.	निर्माण लागत तथा प्लांट एवं मशीनरी	605
3.	अन्य ऊपरी खर्च (व्यावसायिक / विपणन / जनशक्ति / प्रशासन आदि)	155
	कुल	1000

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश:

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (लाख रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (लाख रुपए में)
1.	भूमि की लागत	240	--
2.	सामग्री प्रापण एवं सेवा लागत	52	16
3.	अन्य ऊपरी खर्च (ब्याज)	201	01
	कुल	493	17

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के बहु उत्पाद एसईजेड में विलय के लिए अनुमोदन*	विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के एक बहु उत्पाद एसईजेड में विलय के लिए आवेदन किया गया	राज्य सरकार ने सिफारिश अग्रेषित की है	मार्च, 2017
2.	चारदीवारी का निर्माण	30 प्रतिशत	योजना का 50% कार्य पूरा हुआ	मार्च, 2017
3.	सड़क एवं अन्य अवसंरचना का निर्माण	योजना का 100 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ	योजना का 40 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ	सितंबर, 2017
4.	सीवेज तथा जलापूर्ति	योजना बनाने का कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो गया है	योजना का 50 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ	नवंबर, 2017

*हालांकि यह कोई अधिकृत गतिविधि नहीं है

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(x) जुईनगर, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 31 दिसंबर, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यूफाउंड प्रापर्टीज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स न्यूफाउंड प्रापर्टीज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्षेत्र :	आईटी / आईटीईएस
लोकेशन :	जुइनगर, जिला थाणे, महाराष्ट्र
विस्तार :	21 अगस्त 2006 को विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को 5 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 31 दिसंबर 2016 तक वैध था।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 21 अगस्त, 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

सितंबर 2016 तक निवेश	150.55 करोड़ रुपए
पिछले विस्तार के बाद निवेश (जनवरी 2016)	94.02 करोड़ रुपए
पिछले विस्तार के बाद वृद्धिमूलक निवेश (जनवरी 2016 से सितंबर 2016 तक)	56.53 करोड़ रुपए

पिछली बार वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद से भौतिक प्रगति :

निर्माण कार्य :

(i) 12 स्लैब में से छठें स्लैब तक आरसीसी का काम पूरा हो गया है
(ii) चिनाई तथा बाहरी विकास कार्य 40 प्रतिशत पूरा हो गया है
(iii) मार्च 2018 तक संपूर्ण निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

सड़क तथा अवसंरचना कार्य :

(i) मेन रोड से एसईजेड तक 950 मीटर लंबी कंक्रीट की सड़क तथा अंडरग्राउंड सर्विस (स्टार्म वाटर ड्रेन / केबल ट्रेंच / नेटवर्किंग ट्रेंच) का काम पूरा हो गया है
(ii) 2 एकड़ में केन्द्रीय उद्यान क्षेत्र के विकास का काम चल रहा है।

इंक्यूबेशन सेंटर :

(i) प्लग एंड प्ले की सुविधा के साथ इंक्यूबेशन सेंटर पूरा हो गया है तथा प्रचालन शुरू करने के लिए तैयार है।
(ii) विकासक के पास मैसर्स नुओवा सेरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक प्रतिबद्ध क्लायंट है

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने 30 जून, 2017 तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xi) दीमापुर, नागालैंड में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 11 अक्टूबर, 2016 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम :	मैसर्स नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
क्षेत्र :	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
लोकेशन :	दीमापुर, नागालैंड
विस्तार :	विकासक को औपचारिक अनुमोदन 12 अक्टूबर, 2007 को प्रदान किया गया था। विकासक को छः विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 11 अक्टूबर, 2016 तक थी।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 12 अक्टूबर, 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) औद्योगिक भूखंडों के लिए स्थल विकास - 100 प्रतिशत
(ii) प्रशासनिक ब्लाक एवं अतिथि गृह - 100 प्रतिशत
(iii) विद्युतीकरण - 90 प्रतिशत
(iv) आंतरिक सड़कें एवं वाटर पाइपें - 100 प्रतिशत
(v) आवासीय ब्लाक तथा फैक्ट्री शेड (3) - 100 प्रतिशत
(vi) मानक डिजाइन फैक्ट्री (2) - 100 प्रतिशत
(vii) जल शोधन संयंत्र, सीईटीपी और कोल्ड स्टोरेज - काम चल रहा है

यह एसईजेड पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकमात्र क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है जिसे नागालैंड सरकार प्रमोट कर रही है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने औपचारिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 74.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

- एसईजेड नियमावली के नियम 18 (1) के अनुसार, अनुमोदन समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है।
- एसईजेड में यूनिटों के संबंध में मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) द्वारा अभिशासित हैं।
- नियम 19 (4) यह कहता है कि एलओपी एक साल की अवधि के लिए वैध होगा। पहला परंतुक अधिक से अधिक दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा परंतुक विकास आयुक्त को एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से

संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

- तीसरे वर्ष के बाद (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं) तथा चौथे वर्ष के बाद वैधता अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाती है।
- अनुमोदन बोर्ड एक बार में एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है।
- अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने की कोई समय सीमा नहीं है।

(i) 27 अक्टूबर, 2016 के बाद उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जी मेटल्स कंपनी जो प्लाट नंबर 98 पर एनएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

- एलओपी जारी किया गया : 28 अक्टूबर 2010 को ज्वैलरी के निर्माण के लिए अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए नान फेरस एलॉय, चेन, ज्वैलरी, फाइडिंग कंपोनेंट तथा इलेक्ट्रो प्लेटिंग प्रोसेस सहित बहुमूल्य धातुओं के निर्माण के लिए।
- विस्तार : 27 अक्टूबर 2016 तक 4 (चार)
- अनुरोध : 27 अक्टूबर, 2017 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	--
2.	निर्माण की लागत	1.00
3.	प्लांट एवं मशीनरी	7.70
4.	अन्य ऊपरी खर्च	4.18
	कुल	12.88

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश:

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	3.41	1.16
2.	सामग्री का प्रापण	2.32	1.52
3.	सेवा लागत	0.19	0.12
4.	अन्य ऊपरी खर्च	0.37	0.28
	कुल	6.29	3.08

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.		आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	भवन	100 प्रतिशत	10 प्रतिशत	--
2.	प्लांट एवं मशीनरी	90 प्रतिशत	67 प्रतिशत	मार्च, 2017

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने 21 नवंबर, 2017 तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) 2 सितंबर, 2016 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पिंकसिटी ज्वेल हाउस प्राइवेट लिमिटेड जो सीतापुरा, जयपुर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

- एलओपी जारी किया गया : निर्माण यूनिट की स्थापना के लिए 3 सितंबर 2013 को
- विस्तार : 2 सितंबर, 2016 तक 2 (दो)
- अनुरोध : 2 सितंबर, 2017 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

सनदी इंजीनियर प्रमाण पत्र के अनुसार यूनिट ने केवल 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरे किए हैं, तथापि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार दो तिहाई निर्माण पूरा होना चाहिए जो शामिल नहीं है। इसके लिए यूनिट ने बताया है कि यद्‌यपि एलओए की अवधि 2 सितंबर 2016 को समाप्त हो चुकी है, फिर भी उन्होंने बताया है कि निजी एवं व्यावसायिक कारणों से वे निर्माण कार्य समय से शुरू नहीं कर सके।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(iii) 13 दिसंबर 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एमनियल ऑंकोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो पोलोपल्ली गांव, जड़चेरला मंडल, महबूब नगर जिला, तेलंगाना में टीएसआईआईसी लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- एलओपी जारी किया गया : फर्मास्युटिकल फार्मुलेशन के लिए 14 दिसंबर, 2010 को
- विस्तार : 13 दिसंबर, 2016 तक 5 (पांच)
- अनुरोध : 12 दिसंबर, 2017 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 30 सितंबर, 2016 तक की स्थिति के अनुसार निवेश 139.65 करोड़ रुपए है
(ii) बुनियादी अवसंरचना जैसे कि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है तथा साइट पर प्रचालन में है।
(iii) बुनियादी यूटिलिटी अवसंरचना जैसे कि बॉयलर, एचवीएसी, डीजी सेट, एयर हैंडलिंग यूनिट आदि का इंस्टालेशन हो चुका है तथा वे साइट पर प्रचालन में हैं।
(iv) 220 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है
(v) पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश 68.28 करोड़ रुपए है।
(vi) यूनिट ने उत्पादन शुरू कर दिया है तथा वे यूएसएफडीए जैसे विभिन्न विदेशी विनियामक प्राधिकरणों से कारखाना के अनुमोदन तथा उत्पाद के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 74.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध (1 प्रस्ताव)

(i) मैसर्स एएमआरएल हाइटेक सिटी लिमिटेड द्वारा नंगूनेरी, तिरुनेवेली जिला, तमिलनाडु में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडिया पावर कॉर्पोरेशन (बिहार) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त बहु उत्पाद एसईजेड 1020 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 18 नवंबर 2008 को अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स इंडिया पावर कॉर्पोरेशन (बिहार) प्राइवेट लिमिटेड ने अच्छी तथा निर्विघ्न विद्युत के वितरण, विद्युत वितरण नेटवर्क के विकास तथा एसईजेड के अंदर विद्युत वितरण से संबंधित अन्य सहायक सेवाओं के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक और सह विकासक के बीच समझौता ज्ञापन 19 दिसंबर 2016 को किया गया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 74.4 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए (6 प्रस्ताव)

(i) ग्राम कसूरड़ी, गुंजल मवाल, तालुक भोर, पुणे, महाराष्ट्र में 58.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वर्ल्डवाइड ऑयल फील्ड मशीन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स वर्ल्डवाइड ऑयल फील्ड	ग्राम कसूरड़ी, गंजाल मवाल, तालुक भोर, पुणे, महाराष्ट्र	इंजीनियरिंग	58.23	नहीं*	राज्य सरकार ने क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड	नया

	मशीन प्राइवेट लिमिटेड					स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन अग्रेषित किया है।	

*विकासक ने बताया है कि वार्ता के माध्यम से किसानों से भूमि खरीदने का प्रस्ताव है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन पर विचार करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) आउटर रिंग रोड, राचनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक में 2.5906 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(ii)	मैसर्स एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	आउटर रिंग रोड, राचनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	2.5906	हां	हां	राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त न होने के कारण अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था (अब राज्य सरकार से 14 दिसंबर 2016 को एनओसी प्राप्त हो गई है)

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) एलएंडटी कैंपस, बेल्लारी रोड, ब्यातरायणपुरा, जीकेवीके के बाद, बंगलौर, कर्नाटक में 2.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एलएंडटी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (रियल्टी डिवीजन) का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(iii)	मैसर्स	एलएंडटी कैंपस, बेल्लारी	इंजीनियरिंग	2.34	हां	नहीं	नया

	एलएंडटी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड	रोड, ब्यातरायणपुरा, जीकेवीके के बाद, बंगलौर, कर्नाटक					

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) पुराना नंबर 111 / नया नंबर 162, माउंट पूनामाले हाई रोड, पोरुर, चेन्नई, तमिलनाडु में 2.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स हॉरिजनव्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स आरपीआईएल सिंगलिंग सिस्टम्स लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(iv)	मैसर्स हॉरिजनव्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स आरपीआईएल सिंगलिंग सिस्टम्स लिमिटेड	पुराना नंबर 111 / नया नंबर 162, माउंट पूनामाले हाई रोड, पोरुर, चेन्नई, तमिलनाडु	आईटी / आईटीईएस	2.49 हेक्टेयर (एचपीपीएल के पास 1.94 हेक्टेयर) और आरपीआईएलएसएसएल के पास 0.55 हेक्टेयर)	हां	नहीं	नया

विकास आयुक्त, एमईपीजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) सर्वे नंबर 115/35, नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(v)	मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नंबर 115/35, नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	2.02	हां*	नहीं	अनुमोदन बोर्ड की 73वीं बैठक में वापस ले लिया गया था क्योंकि राज्य सरकार से एनओसी उपलब्ध नहीं था

*एसईजेड के विकास के लिए फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम फिनिक्स एंबेसी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड था) और भूस्वामी, न्यूलैंड लैबोरेटरी लिमिटेड के बीच संयुक्त विकास करार किया गया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने तेलंगाना सरकार की सिफारिश के अधीन अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) सर्वे नंबर 203 भाग, माणिकोंडा जागीर गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(vi)	मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नंबर 203 भाग, माणिकोंडा जागीर गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	2.02	हां*	नहीं	अनुमोदन बोर्ड की 73वीं बैठक में वापस ले लिया गया था क्योंकि राज्य सरकार से एनओसी उपलब्ध नहीं था

*एसईजेड के विकास के लिए फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम फिनिक्स एंबेसी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड था) और भूस्वामी, एथेना ग्लोबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम वीजेआईएल कंसल्टिंग लिमिटेड था) के बीच संयुक्त विकास करार किया गया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने तेलंगाना सरकार की सिफारिश के अधीन अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 74.5 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन (3 प्रस्ताव)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की

एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

(i) निम्नलिखित यूनिटों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए वीएसईजेड के अधीन मैसर्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इनफार्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(i) मैसर्स सनड्यू प्रापर्टी लिमिटेड में 8 जनवरी 2010 को यूनिट 1 को एलओपी प्रदान किया गया था

(ii) मैसर्स फिनिक्स इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड में 16 फरवरी 2012 को यूनिट 2 को एलओपी प्रदान किया गया था

(iii) मैसर्स सनड्यू प्रापर्टी लिमिटेड में 26 सितंबर 2014 को यूनिट 3 को एलओपी प्रदान किया गया था

यूनिट ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

(क) शेयर होल्डिंग का पिछला पैटर्न :

शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का अंकित मूल्य (रुपए में)
यूनाइटेड हेल्थ इंटरनेशनल इंक	63,195	631,950
ऑप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंटरनेशनल बीवी	9,936,805	99,368,050
कुल	10,000,000	100,000,000

(ख) शेयर होल्डिंग का संशोधित पैटर्न :

शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का अंकित मूल्य (रुपए में)
ऑप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (10000000 शेयर में से 10 शेयर ऑप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नामिती के रूप में यूनाइटेड हेल्थ इंटरनेशनल इंक द्वारा धारित किए गए हैं)	10,000,000	100,000,000
कुल	3434677	100 प्रतिशत

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंफार्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो सीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को अधिकृत प्रचालनों के संचालन अर्थात आईटी / आईटीईएस के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 16 अक्टूबर 2014 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए 31 मई, 2020 तक वैध है।

यूनिट ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न		शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न	
1. ऑप्टिमम ग्लोबल सोल्यूशंस इंटरनेशनल बीवी (अनिवासी कंपनी)	99.37 प्रतिशत	1. ऑप्टिमम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (निवासी कंपनी)	99.9999 प्रतिशत
2. यूनाइटेड हेल्थ इंटरनेशनल इंक (अनिवासी कंपनी)	0.63 प्रतिशत	2. यूनाइटेड हेल्थ इंटरनेशनल इंक (ऑप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नामिती शेयर धारक)	0.0001 प्रतिशत
कुल	100 प्रतिशत		100 प्रतिशत

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 99.9999 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) निम्नलिखित यूनिटों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए एनएसईजेड के अधीन मैसर्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इनफार्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(i) मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड में 2 मई 2012 को यूनिट 1 को एलओपी प्रदान किया गया था

(ii) मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड में 21 सितंबर 2015 को यूनिट 2 को एलओपी प्रदान किया गया था

12 अगस्त 2016 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी के लिए शेयर होल्डिंग के निम्नलिखित पैटर्न को मंजूरी प्रदान की थी :

शेयर धारक का नाम (पुराना)	धारित शेयरों की संख्या	हिस्सा प्रतिशत में
ऑप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंटरनेशनल बीवी	99,36,805	99.37 प्रतिशत
यूनाइटेड हेल्थ इंटरनेशनल इंक	63,195	0.63 प्रतिशत
ऑप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंटरनेशनल बीवी	6,15,21,250	100 प्रतिशत

अब यूनिट ने 18 अगस्त 2016 से कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में निम्नानुसार पुन: परिवर्तन के लिए सूचना प्रस्तुत की है :

शेयर धारक का नाम (नया)	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का अंकित मूल्य (रुपए में)
ऑप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,00,00,000	100 प्रतिशत

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 74.6 : विविध मामले (7 मामले)

(i) मटोडा, सानंद, अहमदाबाद में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की जैव प्रौद्योगिकी में सेक्टोरल ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 21 जून 2006 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 50.2885 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फर्मास्युटिकल के लिए विकसित, प्रचालित एवं अनुरक्षित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड मई 2009 से पूर्णत: क्रियाशील है तथा सीईपीटी सहित सभी सामान्य अवसंरचना उपलब्ध है और अधिसूचित किए गए 48 हेक्टेयर में से अधिकांश क्षेत्रफल का 10 अनुमोदित यूनिटों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

अब विकासक ने जैव प्रौद्योगिकी में ब्राड बैंडिंग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

13 सितंबर 2013 को वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए एसईजेड संशोधन पर स्पष्टीकरण के अनुसार ब्राड बैंडिंग के प्रत्येक सेक्टर के साथ समान / संबद्ध क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सेक्टरों की श्रेणियों के लिए ब्राड बैंडिंग के प्रावधानों ने भूमि के न्यूनतम मापदंड के प्रयोजनार्थ एकल सेक्टर के रूप में लिया है। जैव प्रौद्योगिकी, फर्मास्युटिकल और केमिकल को एकल सेक्टर के रूप में माना जाता है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने ब्राड बैंडिंग के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) अपने मौजूदा एलओए में निर्यात के लिए चावल के प्रसंस्करण की गतिविधि के लिए मैसर्स श्री लाल महल लिमिटेड, कांडला एसईजेड का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण तथा मुक्त श्रेणी के तहत शामिल तथा तंबाकू या निकोटीन रहित पान मसाला एवं पान के लिए चूर्ण का निर्माण करने के लिए 28 जुलाई 2016 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए एक साल की अवधि के लिए अर्थात 27 जुलाई 2017 तक वैध है। तथापि, यूनिट श्री लाल महल ग्रुप की कंपनियों की इनहाउस फर्म है जो भारत से बासमती एवं गैर बासमती चावल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।

यूनिट ने अपने मौजूदा एलओए में चावल, उसिने और बासमती चावल के प्रसंस्करण की गतिविधियों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने आईटीसी एचएस कोड (10063010-10063020) के तहत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है .

यूनिट ने बताया है कि वे चावल का 100 प्रतिशत आयात करेंगे तथा प्रसंस्करण अर्थात सफाई, पॉलिश, छंटाई और वर्गीकरण के बाद उसे विदेशी गंतव्यों को 100 प्रतिशत निर्यात करेंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि आयात के लिए प्रस्तावित किस्मों का भारत में उत्पादन नहीं होता है तथा भारत में इन किस्मों के लिए कोई बाजार भी नहीं है क्योंकि उक्त प्रकार के एग्जोटिक ब्राउन राइस का उपभोग भारतीयों द्वारा नहीं होता है। उन्होंने यह भी बताया है कि आयातित चावल को डीटीए बाजार में हटाया नहीं जाएगा तथा यह कि वे डीटीए बाजार से चावल का प्रापण भी नहीं करेंगे।

यूनिट ने अगले 5 वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा का अनुमानित तुलन प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है :

निर्यात का एफओबी मूल्य - 1984.00 लाख रुपए
विदेशी मुद्रा जावक - 1654.00 लाख रुपए
एनएफई - 0330.00 लाख रुपए

15 नवंबर 2016 को आयोजित कांडला एसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति की 104वीं बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई। समुचित विचार विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने नोट किया कि चावल संवेदनशील उपभोक्ता मद है जिसका भारत की आम जनता से सरोकार है और यह कि इसके आयात / निर्यात की नीति में अक्सर परिवर्तन होते रहते हैं। अतः समुचित विचार विमर्श के बाद समिति ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव को अग्रेषित करने तथा सिफारिश करने का निर्णय लिया।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एक्वस एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड जो बेलगाम, कर्नाटक में प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 07 जनवरी, 2008 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 106.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है तथा एसईजेड ने 1 जुलाई 2009 से प्रचालन शुरू किया है।

विकासक ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11ए के तहत एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है तथा परियोजना के कार्यान्वयन की अनुसूची इस प्रकार है :

(i)	क्षेत्रफल की आवश्यकता :	0.93 हेक्टेयर
(ii)	निर्मित क्षेत्र :	12000 वर्ग फीट
(iii)	कुल गैर प्रसंस्करण क्षेत्र का प्रतिशत :	1.50 हेक्टेयर
(iv)	कुल एसईजेड क्षेत्र का प्रतिशत :	1.41 प्रतिशत
(v)	परियोजना पूरी करने की समय सीमा :	9 माह

निवेश / व्यवसाय योजना

(i) भूमि की लागत के अलावा प्रस्तावित निवेश : 4.3 करोड़ रुपए
(ii) मौज़ूदा व्यवसाय का टर्नओवर : वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 17.2 करोड़ रुपए

प्रशिक्षण केन्द्र केवल यूनिट धारकों के लाभ के लिए है। एसईजेड शुल्क पर दूसरी संस्था को प्रशिक्षण की गतिविधियों की आउटसोर्सिंग करेगा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली तीसरे पक्ष की ऐसी संस्था प्रशिक्षणार्थी हायर करेगी और एसईजेड में यूनिटों में जॉब के लिए उनको उपयुक्त ढंग से प्रशिक्षित करेगी। इसलिए राज्य सरकार से एनओसी की आवश्यकता नहीं है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) 100 प्रतिशत निर्यात के लिए आयातित रॉ शुगर के भंडारण के लिए अपने मौजूदा एलओए में अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स मिलक वेयरहाउस, कांडाला एसईजेड का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 9 अगस्त 2001 को एलओपी प्रदान किया गया तथा समय समय पर भंडारण की गतिविधि सहित विभिन्न गतिविधियों की ब्राड बैंडिंग की गई। एलओए 14 अगस्त 2021 तक वैध है।

5 साल की पिछली ब्लाक अवधि से यूनिट का एनएफई निष्पादन तथा रोजगार सृजन इस प्रकार है :

2015-16 में समाप्त 5 साल के ब्लाक में प्राप्त एनएफई - 458.33 लाख रुपए
2015-16 के दौरान रोजगार - 28
2010-11 में समाप्त 5 साल के ब्लाक में प्राप्त एनएफई - 372.28 लाख रुपए
2010-11 के दौरान रोजगार - 122

यूनिट ने 25/50 किलो की बोरियों में उनके द्वारा भारत से बाहर आपूर्त किए गए बल्क रॉ शुगर की पैकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए विदेशी ग्राहकों की ओर से अपने मौजूदा एलओए में 100 प्रतिशत निर्यात के लिए आयातित रॉ शुगर के भंडारण की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है तथा पैकिंग के बाद उक्त माल का उक्त विदेशी ग्राहक के अनुदेश के अनुसार विभिन्न विदेशी गंतव्यों को 100 प्रतिशत निर्यात किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि वे केवल विदेशी मुद्रा में संपूर्ण भंडारण / अभिरक्षा प्रभार प्राप्त करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी बताया है कि भंडारण की उक्त प्रस्तावित गतिविधि में संपूर्ण कच्ची चीनी उनके विदेशी ग्राहकों द्वारा भारत के बाहर से मंगाई जाएगी तथा भारत के बाहर 100 प्रतिशत निर्यात किया जाएगा। उन्होंने यह भी वचन दिया है कि उपर्युक्त प्रस्तावित गतिविधि के लिए उक्त माल के लिए कोई डीटीए प्रापण या डीटीए बिक्री नहीं होगी।

यूनिट ने बताया है कि कच्ची चीनी वर्तमान विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के तहत आईटीसी (एचएस) कोड नंबर 17029090 और 17011490 के तहत आती है तथा इसके आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा केवल यह शर्त है कि चीनी के आयात की सभी संविदाएं अनिवार्य रूप से अपेडा के यहां पंजीकृत कराई जाएंगी। तथापि, चीनी का आयात और निर्यात बहुत संवेदनशील उपभोक्ता मद है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) एआरई 1 फार्म के विरुद्ध ड्यूटी के भुगतान के बगैर आईटीसी लिमिटेड से सिगरेट के प्रापण तथा ड्यूटी फ्री शॉप बांडेड वेयरहाउस और विदेशी वेजल को आपूर्ति के लिए मैसर्स ए वन ड्यूटी फ्री प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स ए वन ड्यूटी फ्री प्राइवेट लिमिटेड को एलओए की सामान्य शर्तों एवं नियमों के साथ सिगरेट, कनफेक्शनरी, स्पिरिट / लिक्वर की ट्रेनिंग के लिए 9 जून 2014 को एलओए प्रदान किया गया था। एलओए की शर्तों एवं नियमों के अनुसार "यूनिट अनुमोदन के अधीन अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए अपेक्षित सभी मदों का आयात या प्रापण घरेलू टैरिफ क्षेत्र से कर सकती है, सिवाय उसे जो आयात एवं निर्यात की मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत निषिद्ध हैं।"

25 मार्च 2011 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों अधीन सिगरेट (जो आईटीसी-एचएस कोड 2402 के तहत शामिल हैं) की ट्रेडिंग के लिए मैसर्स लॉ स्प्रिट लीकर ट्रेडिंग कंपनी के मामले को अनुमोदित किया था :

1. यूनिट द्वारा सिगरेट का कोई डीटीए प्रापण नहीं किया जाएगा।
2. सिगरेट की कोई डीटीए बिक्री नहीं होगी।
3. सिगरेट की आपूर्ति केवल कांडला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाले विदेशी वेजल, बांडेड वेयरहाउस तथा इन बंदरगाहों में ड्यूटी फ्री शॉप को की जाएगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा मैसर्स ए वन ड्यूटी फ्री प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए एलओए की समीक्षा की गई तथा पत्र दिनांक 11 नवंबर 2014 के माध्यम से एलओए में निम्नलिखित शर्तें शामिल की गईं :

1. यूनिट द्वारा सिगरेट का कोई डीटीए प्रापण नहीं किया जाएगा।
2. सिगरेट की कोई डीटीए बिक्री नहीं होगी।
3. सिगरेट की आपूर्ति केवल बांडेड वेयरहाउस, विदेशी वेजल को की जाएगी।

मैसर्स ए वन ड्यूटी फ्री प्राइवेट लिमिटेड में अपने एलओए में शर्तें लगाने के उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध अभिवेदन प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड की अभ्युक्तियां :

1. मैसर्स ए वन ड्यूटी फ्री प्राइवेट लिमिटेड सिगरेट बनाने का काम नहीं करता है, यूनिट को सिगरेट, कनफेक्शनरी, स्पिरिट / लिकर की ट्रेडिंग करने के लिए एलओए प्रदान किया गया है।
2. अपनी गतिविधि के अंग के रूप में यूनिट डीटीए से सिगरेट का प्रापण करेगी और उसे ड्यूटी फ्री शॉप, बांडेड वेयरहाउस एवं विदेशी वजल को आपूर्त करेगी।
3. आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण अध्याय शीर्ष 2402 के अनुसार सिगरेट को निर्यात एवं आयात दोनों के लिए फ्री लिस्ट में रखा गया है तथा यह प्रतिबंधित या निषिद्ध श्रेणी में नहीं आता है। एसईजेड नियमावली 2006 के प्रावधानों के अनुसार भी यूनिट को अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए अपेक्षित माल का प्रापण / आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है तथा इस प्रकार एसईजेड में किसी यूनिट द्वारा डीटीए से सिगरेट के प्रापण पर कोई प्रतिबंध / निषेध नहीं है।

तदनुसार ड्यूटी फ्री शॉप, बांडेड वेयरहाउस और विदेशी वेजल को सिगरेट की आपूर्ति करने के लिए डीटीए से सिगरेट के प्रापण के लिए यूनिट को अनुमति प्रदान करने के लिए यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स मैथन एलॉय लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम अंजनेय एलॉय लिमिटेड था) जो अच्युतपुरम, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में एपीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स मैथन एलॉय लिमिटेड को फेरो मैगनीज, सिलिको मैग्नीज आदि के निर्माण एवं निर्यात के लिए 21 अक्टूबर 2008 को एलओए प्रदान किया गया था। यूनिट ने 2 जनवरी 2012 को उत्पादन शुरू किया।

उपर्युक्त यूनिट ने पहले 40000 मीट्रिक टन फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए अनुरोध किया था तथा मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए प्रस्ताव पर 6 जुलाई 2012 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया।

यूनिट ने पुन: 60000 मीट्रिक टन फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए अनुरोध किया जिसे 18 सितंबर 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार करने के लिए रखा गया था। 19 सितंबर 2014 को आयोजित अपनी 63वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यूनिट के पक्ष में जारी किए गए एनओसी तथा 6 जुलाई 2012 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा आयात के लिए अनुमत किए गए 40000 मीट्रिक टन फेरो मैग्नीज स्लैग के उपयोग पर रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करने का निदेश दिया था।

अब यूनिट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दिनांक 25 जुलाई 2016 (अनुबंध 1) के माध्यम से प्राप्त एनओसी को विधिवत रूप से सलंग्न करते हुए 60000 मीट्रिक टन फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया है कि कुछ निर्धारित शर्तों के साथ यूनिट द्वारा रिकवरी / रिसाइकलिंग / रिप्रोसेसिंग के प्रयोजनार्थ हांगकांग, सिंगापुर, जापान और स्विटजरलैंड से 60000 मीट्रिक टन फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात पर मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसार आयात के लिए अनुमति 30 अप्रैल 2018 तक या अनुमति जारी किए जाने की तिथि (25 जुलाई 2016) से 18 माह तक, जो भी पहले हो, वैध है।

यूनिट ने पहले आयात किए गए 40000 मीट्रिक टन के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित है।

चूंकि यूनिट ने 18 सितंबर 2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किया है इसलिए 60000 मीट्रिक टन फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए मैसर्स मैथन एलॉय लिमिटेड का अनुरोध विचार करने के लिए एसईजेड के अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

यूनिट का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) ग्राम कलवारा, झाई भंभोरिया, बगरू खुर्द और नेवता, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित अपने 5 एसईजेड (आईटी / आईटीईएस एसईजेड, इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग एसईजेड, हस्तशिल्प एसईजेड, रत्न एवं आभूषण एसईजेड तथा साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर विनिर्माण सहित आईटी / आईटीईएस एसईजेड) के एक बहु उत्पाद एसईजेड में विलय के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का प्रस्ताव

मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड ने ग्राम कलवारा, झाई भंभोरिया, बगरू खुर्द और नेवता, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में अपने 5 एसईजेड के विलय के लिए प्रस्ताव किया है जो इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	एसईजेड / सेक्टर	मौजूदा अधिसूचित क्षेत्र	विमुक्त करने के लिए आवेदन किया गया	क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए आवेदन किया गया	कुल क्षेत्रफल
1.	आईटी / आईटीईएस एसईजेड एफ2/135/2005-ईपीजेड दिनांक 7 अप्रैल 2006	150.2830	--	--	150.2830
2.	सॉफ्टवेयर औरा हार्डवेयर विनिर्माण सहित आईटी / आईटीईएस एफ1/33/2010-एसईजेड दिनांक 4 जनवरी 2012	36.107	--	--	36.107
3.	हस्तशिल्प एसईजेड एफ2/135/2005-ईपीजेड दिनांक 23 अप्रैल 2008	165.2116	--	--	165.2116
4.	इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग एफ2/135/2005-ईपीजेड दिनांक 23 अप्रैल, 2008	233.368	--	--	233.368
5.	रत्न एवं आभूषण एसईजेड एफ1/34/2010-एसईजेड दिनांक 2 फरवरी 2011	11.080	0.172	0.077	10.985
	कुल	596.0496	0.172	0.077	595.9546

उपर्युक्त 5 एसईजेड में से 3 एसईजेड अर्थात (i) आईटी / आईटीईएस एसईजेड (ii) हस्तशिल्प एसईजेड और (iii) इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग एसईजेड क्रियाशील हैं तथा शेष 2 एसईजेड अर्थात (i) साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर निर्माण सहित आईटी / आईटीईएस एसईजेड और (ii) रत्न एवं आभूषण एसईजेड कार्यान्वयन चरण में हैं। रत्न एवं आभूषण एसईजेड में क्षेत्रफल घटाने एवं बढ़ाने के लिए विकासक का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है।

वर्तमान मामले में विकासक ने 12.432 हेक्टेयर की वृद्धि तथा 3.803 हेक्टेयर की कटौती के लिए प्रस्ताव किया है जिससे उपर्युक्त 5 एसईजेड के विलय के बाद कुल क्षेत्रफल 604.5836 हेक्टेयर हो जाएगा।

राजस्थान सरकार ने उपर्युक्त 5 अधिसूचित एसईजेड के विलय तथा 12.432 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के प्रस्ताव की यह कहते हुए सिफारिश की है कि विकासक के पास एसईजेड के रूप में उक्त क्षेत्र का विकास करने के लिए अप्रतिसंहार्य अधिकार है तथा उक्त क्षेत्र सभी भारग्रस्तता से मुक्त है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक छोटी नदी भूमि से होकर गुजर रही है तथा इस पर पुलिया के निर्माण के माध्यम से प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र पहले से अधिसूचित क्षेत्र से संस्पर्शी हो जाएगा। विकासक के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उक्त छोटी नदी एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्र के अंदर मौजूद है तथा इसका प्रयोग जलाशय के रूप में किया जाता है। पाया गया कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है परंतु मौजूदा इंजीनियरिंग एसईजेड तथा आईटी एसईजेड 2 के बीच गांव की एक सड़क मौजूद है। विकासक के प्रतिनिधियों

द्वारा सूचित किया गया कि मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर को उक्त भूमि पट्टा पर दी गई है परंतु ग्रामीणों के विरोध के चलते वे सड़क को बंद करने के लिए राज्य सरकार के साथ मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने सूचित किया तथा ग्रामीणों के लिए अलग से बनाई गई डामर की सड़क को दर्शाया जिसे वे मौजूदा सड़क के बंद होने के बाद प्रयुक्त करेंगे। उन्होंने यह भी सूचित किया कि यदि वे उपर्युक्त सड़क को बंद करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं तो वे समर्पित सुरक्षा गेट / अंडरपास का निर्माण करके सन्निकटता स्थापित करेंगे और वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 27 दिनांक 18 अगस्त 2009 के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र के सामने मौजूद सड़क की फेंसिंग भी करेंगे। विकासक ने बचन दिया है कि सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए वे कोई कर लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। यह भी सूचित किया गया कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि का बड़ा हिस्सा दो मौजूदा अधिसूचित एसईजेड के बीच में पड़ता है।

इसके अलावा उप सचिव (उद्योग), राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 19 दिसंबर 2016 (अनुबंध 2) के माध्यम से एनओसी जारी किया है और यह बताया है कि चूंकि विकासक एसईजेड एवं डीटीए की स्थापना कर रहा है इसलिए ऐसे विमुक्त क्षेत्र का उपयोग डीटीए के लिए अपेक्षित अवसंरचना के सृजन के लिए किया जाएगा। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे डीटीए क्षेत्र को अक्सेस प्रदान करने के लिए अधिसूचित क्षेत्र से इस छोटे क्षेत्र को हटाने की आवश्यकता है। एनओसी में यह भी बताया गया है कि विमुक्तीकरण के बाद भूखंड का उपयोग महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार की नीति के तहत अनुमत प्रयोग के लिए किया जाएगा।

उपर्युक्त स्थिति के आलोक में विकासक ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 27 दिनांक 18 अगस्त 2019 (सन्निकटता की शर्तें) से छूट प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड समक्ष अनुरोध किया।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने 5 अधिसूचित एसईजेड के विलय तथा 12.432 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि और 3.803 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के संबंध में उपर्युक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 74.7 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (एक प्रस्ताव)

(i) यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स सन्नी व्यू एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जो मोहाली, पंजाब में क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड का सह विकासक है, की अपील

यूनिट को एनएसईजेड द्वारा पत्र संख्या 08/07/91/एनईपीजेड दिनांक 31 जुलाई 1991 के माध्यम से अनुमोदन पत्र जारी किया गया जिसमें उनको उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर की मदों का निर्माण करने, वीसीडी प्लेयर के लिए लेंस के साथ लोडर का निर्माण करने और व्यापार की गतिविधियों के लिए उसमें लगाई गई शर्तों के अधीन और/या समय समय पर यथासंशोधित शर्तों के अधीन यूनिट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। यूनिट ने 10 अगस्त 1991 से अपना निर्यात उत्पादन शुरू किया तथा पिछले 25 साल से यह काम कर रही है।

यूनिट को पावर बैकअप की सुविधा सहित विद्युत के अधिकृत प्रचालन के लिए पत्र संख्या एफ2/7/2005-ईपीजेड दिनांक 22 मई 2008 के माध्यम से मंजूरी पत्र जारी किया गया था। मोहाली, पंजाब में स्थित मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड के सह विकासक के रूप में मैसर्स सन्नी व्यू एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद यहां आगे अपीलकर्ता कहा गया है) ने एसईजेड नियमावली 2006 के

नियम 5ए - "सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना की आवश्यकता" के प्रावधान के तहत उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क सहित इलेक्ट्रिकल गैस और पेट्रोलियम नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क के रूप में अधिकृत प्रचालनों के संचालन के प्रयोजनार्थ पावर बैकअप के लिए डीजी सेट सहित सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए यूनिट अनुमोदन समिति को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो प्रदान करता है

(क) जो जोन में स्थिर फ्रिक्वेंसी पर 24 घंटे अबाध विद्युत आपूर्ति;
(ख) अबाध एवं सुरक्षित डाटा पारेषण के लिए विश्वसनीय कनेक्टिविटी;
(ग) सेंट्रल एयरकंडिशनिंग सिस्टम के लिए प्रावधान; और
(घ) अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए रेडी टू यूज, फर्निश्ड प्लग एंड पे फेसिलिटी।

इन सुविधाओं के निर्वहन का सुनिश्चय करने के लिए अपीलकर्ता ने अपने एसईजेड के लिए डीजी सेट खरीदने का निर्णय लिया है ताकि जोन में स्थिर फ्रिक्वेंसी पर 24 घंटे अबाध विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सके।

तदनुसार अपीलकर्ता ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड से संपर्क किया और अपनी यूनिट के लिए पावर बैकअप के प्रयोजनार्थ डीजी सेट खरीदने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड / यूनिट अनमोदन समिति ने वाणिज्य विभाग द्वारा पत्र दिनांक 16 फरवरी 2016 के माध्यम से जारी किए गए नए विद्युत दिशानिर्देश (उक्त दिशानिर्देश का पैरा 4) के आलोक में बताया है कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड जिन्हें अच्छी बिजली की निरंतर आवश्यकता होती है, के संबंध में, जहां भी विकासक / सह विकासक को प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विद्युत का उत्पादन अनुमोदित किया गया है और जिसके संबंध में एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5ए के अनुसरण में एसईजेड में स्थिर बारंबारता पर अच्छी बिजली की 24 घंटे अबाध आपूर्ति के लिए विकासक / सह विकासक पर सांविधिक बाध्यता है, ऐसे मामले में विद्युत का उत्पादन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर यूनिट के रूप में किया जाएगा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा पावर प्लांट सहित ऐसा पावर प्लांट एसईजेड अधिनियम की धारा 26 के तहत शामिल सभी राजकोषीय लाभों के लिए हकदार होगा जिसमें विद्युत के उत्पादन के लिए आरंभिक स्थापना, अनुरक्षण तथा कच्चा माल एवं उपभोज्य वस्तुओं के ड्यूटी फ्री आयात के लिए लाभ शामिल हैं। पूंजी माल, कच्चा माल तथा उपभोज्य वस्तुओं के ऐसे ड्यूटी फ्री आयात को यूनिट की एनएफई बाध्यता में शामिल नहीं किया जाएगा।

समुचित विचार विमर्श के बाद यूनिट अनुमोदन समिति ने विद्युत दिशानिर्देश दिनांक 16 फरवरी 2016 के अनुसरण में विद्युत उत्पादन के लिए एक अलग यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन करने का निदेश दिया।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-3) दाखिल की है।

****